वैष्वीकरण के दौर में भारतीय संघवाद के विभिन्न आयाम

जितेन्द्र कुमार यादव
ग्राम–रहिमपुर रूदौली
पो0–विक्रमपुर बान्दे
थाना+जिला– समस्तीपुर
(बिहार) 848129

वैष्वीकरण 20वीं षताब्दी के अंतिम दषक में उभरकर आया समकालीन विष्व व्यवस्था का आधारभूत तत्त्व है। वैष्वीकरण आज विद्वानों, राजनीतिज्ञों एवं संचार माध्यमों में सर्वाधिक चर्चित षब्द ;ठन्नूवतकद्ध बन गया है। वैष्वीकरण को आज समसामयिक समाज एवं राजनीतिक जीवन के सभी पहलुओं में विष्वव्यापी अंतर्सम्बन्धों को व्यापक बनाने, गहरा बनाने और षीघ्रगामी बनाने के माध्यम के रूप में देखा जाता है। यह समकालीन विष्व व्यवस्था की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में प्रकट हुआ है जिसका उद्देष्य विष्व पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली एवं बाजार की षक्ति के प्रभुत्व को सुदृढ़ बनाने, विष्व संस्कृति के माध्यम से स्थानीय संस्कृतियों के क्षरण और परा–राश्ट्रीय निगमों ;ज्तंदेदंजपवदंस ब्वतचवतंजपवदद्ध एवं अंतर्राश्ट्रीय संगठनों द्वारा राज्य की सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण करने की प्रक्रिया जारी रखना है। वास्तव में आज वैष्वीकरण वैष्विक व्यवस्था की सच्चाई बन चुकी हैं, ऐसी सच्चाई जिसने राज्य और उसकी प्रभुसत्ता को लेकर बहुत प्रष्न पैदा किए हैं। विष्व में आपसी संयोजन की आवष्यकता ने राज्य की प्रभुसत्ता के समक्ष कई चुनौतियाँ पेष की है।[1] आज राज्य की प्रभुसत्ता का अर्थ राज्य की स्वायत्तता या मनमानी करने का अधिकार नहीं रह गया है, आज हम जो अनुभव कर रहे हैं वह गुणात्मक दृश्टि से एक नई स्थिति है–विष्व अन्तरकार्य का विषाल तंत्र, मुक्त बाजार की षक्ति पर आधारित वित्तीय प्रवाह जिनपर राज्यों का बहुत सीमित नियंत्रण रहता है, संचार व्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि, अंतर्राश्ट्रीय संगठनों की सत्ताओं का अविर्भाव, सरकारी सीमाओं के बाहर के कार्य, वैष्वीकरण सैन्य व्यवस्था तथा इंटरनेट के कारण दूरी के पुनर्व्यवस्थापन का विचार आज के वैष्वीकृत पद्धति की प्रमुख विषेशताएँ हैं। यद्यपि 15वीं षताब्दी में आधुनिक राश्ट्र राज्य के उदय के समय से ही अन्तर्राज्य संबंधों की एक वैष्विक पद्धति सदैव विद्यमान रही है और युद्ध, व्यापार आदि के कारण आन्तरिक राजनीति और अन्तर्राश्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित होती रही है तथा राज्यों की एक दूसरे पर निर्भरता पर जोर दिया जाता रहा है। किंतु वैष्वीकरण के समकालीन दौर का प्रादुर्भाव बर्लिन की दीवार के पतन और सोवियत संघ के विखंडन के साथ हुआ जिसमें पूँजीवाद एवं समाजवादी षक्तियों के बीच षीत युद्ध समाप्त हुआ और पूँजीवादी विजयी हुआ। आज विष्व के सभी भागों में रहनेवालों के लिए वैष्वीकरण एक वास्तविकता बन गया है। षीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत विभिन्न देषों में आपसी सहयोग एवं समझदारी बढ़ी है। आर्थिक क्षेत्रीय संघटन, कार्यात्मक संगठन, परा–राश्ट्रीय कर्त्ता बहुराश्ट्रीय कर्त्ता अधिक सक्रिय हो रहे हैं। लोगों के साथ संबंध तथा आपसी अंतः क्रियाओं और संबंधों में तेजी से वृद्धि हो रही है। राश्ट्र राज्य की भौगोलिक सीमाओं को संचार साधनों तथा यातायात की तीव्र गति साधनों ने कमजोर कर दिया है। इससे विष्व राजनीति में राश्ट्र–राज्यों की भूमिका में कमी आई है तथा वैष्वीकरण को एक आदर्ष मूल्य के रूप में मान्यता मिली है।

वैष्वीकरण के प्रभावस्वरूप राज्यों ने पअने कुछ कार्य अन्तर्राश्ट्रीय और परा–राश्ट्रीय निगमवादी संरचनाओं को सौंप दिये हैं और उनके हवाले कर दिये हैं। वैष्वीकरण आज पूरे विष्व का यथार्थ है।[2]

भारतीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था इस यथार्थ से आँख मूँदकर नहीं रह सकता है। हमें इसे स्वीकार करना होगा तथा उससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना होगा, जो समस्याएँ आएंगी उनका समाधान करना होगा और इससे उत्पन्न अवसरों का दोहन करना होगा। वैष्वीकरण ने भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एक 'संक्रमण' की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है, इससे हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर दबाव उत्पन्न हो रहा है, इस दबाव की दषा–दिषा को समझना होगा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को एकात्मक की जगह संघात्मक षासन प्रणाली वाला देष इसलिए बनाया क्योंकि हमस दियों से एक बहुसांस्कृतिक, बहुआयामी और बहुसमुदायवादी सामाजिक संरचना में रहते चले आए हैं। आज वैष्वीकरण के कारण भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था 'अर्थ' को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, इससे हमारे प्राचीन जीवन मूल्य और हमारी संवैधानिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रमिमान (समाजवाद, व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक–आर्थिक न्याय, लोककल्याणकारी राज्य और संघात्मक व्यवस्था में केन्द्र–राज्य सम्बन्ध आदि) प्राथमिकता खोते जा रहे है। ऐसे में भारतीय गणतंत्र को यह महत्वपूर्ण दायित्व बनता है िकवह वैष्वीकरण की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार राज्य की न्यूनतम भूमिका न निभाकर दृढ़ता से नयी भूमिका निर्धारित करें। जिससे कि यह अपनी संप्रभुता, संघात्मक व्यवस्था, सामाजिक–आर्थिक संरचना और नागरिकों की सुरक्षा कर अपनी उपादेयता प्रमाणित कर सके।

भारत जैसे विकासषील और संघात्मक प्रणाली वाले देष में 'राज्य' की सक्रिय भूमिका इसलिए भी आवष्यक है, क्योंकि षिक्षा, स्वास्थय, गरीबी, बेरोजगारी, आवास, पेयजल, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याषा आदि के आधार पर बनने वाले यू.एन.डी.पी. के मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति वर्श 2012 में भी 182 देषों के बीच 134 वें स्थान पर रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि 'राज्य' को इस दिषा में बहुत कुछ सक्रियता के साथ और प्रभावी ढंग से करना है। उपर्युक्त वर्णित विकास के सामाजिक मापदण्ड ही आर्थिक विकास और वैष्वीकरण को सतत् गतिषील बनाये रखने में सहायक हो सकते हैं। यदि हम विकास के सामाजिक मानदण्डों पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो वैष्वीकरण के कारण आया विकास आधारहीन सिद्ध होने का खतरा उत्पन्न हो जायेगा।[3]

देश की आजादी से लेकर अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने अपने विकास की सबसे सफल यात्रा की है। इसका कारण है लोगों का लोकतंत्र में अटूट विष्वास और सुदृढ़ संघीय ढ़ांचा। आजादी के बाद देष का दिषा निर्धारण और विभिन्नताओं को एकता के सूत्र में पिरोना लोहे के चने चबाने जैसा था। इन सभी विचारों एवं परिकल्पनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवष्यकता थी जो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रख सके, समयबद्ध न्याय दिला सके और उत्तम जीवन यापन की सभी सुविधाएँ मुहैया करवा सके। भारत को सम्पूर्ण प्रभत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक गणराज्य बना सके।

इन सभी विचारों को जमीं पर उतारने का कार्य षुरू 9 दिसम्बर 1946 ई. को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष से संविधान सभा के प्रथम अधिवेषन के रूप में हुई। भारत राश्ट्र की आवष्यकताओं के अनुरूप अनेक देषों के संविधानों से अच्छे तत्वों की खोज आरम्भ हुई लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय संविधान कुछ अच्छे संविधानों की प्रतिलिपि है। कनाडा, 1935 एक्ट; आपात उपबंध, अस्ट्रेलिया; समवर्ती सूची, केन्द्र–राज्य के बीच सम्बन्ध तथा षक्तियों का विभाजन आदि कुछ ऐसे प्रारूप है जिनसे प्रभावित होकर संविधान निर्माताओं भारतीय संघीय व्यवस्था को निष्चित स्वरूप दे दिया और प्रभावित होकर संविधान निर्माताओं भारतीय संघीय व्यवस्था को निष्चित स्वरूप दे दिया और प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख किया। सातवीं अनुसूची में संघ को 97 विशय, राज्य को 66 विशय और समवर्ती सूची 47 विशयों का उल्लेख किया गया।

संविधान के अनुच्छेद–1 भारत को राज्यों का संघ कहा गया और संघात्मक षासन प्रणाली की विषिश्टता के अनुरूप षक्तियों का विभाजन भी किया गया। संसदीय सरकार के संविधान का ढ़ांचा एकात्मक विषेशताओं के साथ–साथ संघात्मक है। भारत का राश्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान का अनुच्छेद 74 (1) यह निर्दिश्ट करता है कि कार्य संचालन में राश्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्ष देने के लिए एक मंत्रीपरिशद् होगी तथा राश्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्ष से कार्य करेगा। इस प्रकार कार्यपालिका की वास्तविक षक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिशद् में नीहित है। मंत्रिपरिशद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है। परन्तु वास्तविक षक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रीपरिशद् में नीहित है। मंत्रीपरिशद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।[4]

संविधान में विधायी षक्ति को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में बाँटा गया है तथा षेश षक्तियाँ संसद को ही प्राप्त है। न्यायपालिका, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोकसभा आयोगों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए संविधान में प्रावधान है।

यहाँ पर स्पश्ट है कि संघ का आस्तित्व राज्यों के तालमेल पर निर्भर करता है। भारत जैसे बहुभाशी, बहुधर्मी, बहुजातीय एवं बहुसम्प्रदायों वाले देष में, जिसमें अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक परम्पराएँ हो, इस तालमेल की आषा कम हो जाती है। राज्यों और केन्द्र के बीच बात केवल विधायी और प्रषासनिक अधिकारों या सूची में निर्धारित विशयों के अधिकारों की नहीं है, वरन् देष की एकता, अखण्डता सुरक्षा की भी है। प्रदत्त अधिकारों का दुरूपयोग, अधिकारों का अतिक्रमण इतना घातक या व्यवस्था तोड़क नहीं है जितना अधिकारों का असंवेदनषीलता एवं विवेकहीनता से प्रयोग करना।

भारतीय संघवाद में केन्द्र और राज्य दोनों एक ही व्यवस्था के पूरक है। केन्द्र को चाहिए कि वह राज्यों को अधिक स्वायत्तता देकर समृद्ध बनाए। दूसरी तरफ राज्यों द्वारा केन्द्र को अपेक्षित सहयोग देते हुए केन्द्र को सुदृढ़ और विकासोन्मुख बनाएं। केन्द्र–राज्य सम्बन्ध अगर किसी भी मामले में तनावपूर्ण है तो राश्ट्र के विकास, सुरक्षा, प्रषासनिक और वैदेषिक सम्बन्धों

पर प्रष्न–चिह्न लग जाता है जिनका सीधा असर जनता पर देखा जा सकता है। केन्द्र का राज्यों ने या राज्यों का केन्द्र मं विरोध हो सकता है कि दलगत राजनीति से प्रेरित होकर किया हो, लेकिन यह भी सच है कि नुकसान आम आदमी को हुआ। इसके चलते आम आदमी ने इन तनावपूर्ण सम्बन्धों का समय–समय पर गोश्ठियों और सभाओं के द्वारा मुखर विरोध जताया तथा सुझाव भी दिए।

ऐसा नहीं है कि जब सम्बन्ध दरकने लगे तब इसका किसी को भान ही न हुआ हो लेकिन पुख्ता इंतजाम की पहल बहुत देर से हुई, जब हुई तब परिस्थितियाँ बदल चुकी थी और समस्याएँ नये रूप में सामने आई। प्रषासनिक सुधार आयोग, सीतलवाड़ समिति, राजमन्न समिति, सरकारिया आयोग आदि ने समय–समय मार्ग दर्षन किया लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को चुना जिसके कई बड़े उद्योग स्थापित किया और धीरे–धीरे निजी को विकसित होने दिया। वर्शो तक भारत अपने निर्धारित लक्ष्य पाने में सक्षम नहीं हो सका। कल्याणकारी कार्यो के लिए भारत ने अन्य देषों से ऋण लेने की विष्वसनीयता खो बैठा। कई अन्य समस्याओं जैसे बढ़ती कीमतें, पर्याप्त पूँजी की कमी धीमा विकास और प्रौद्योगिकी के पिछड़ेपन ने संकट को बढ़ा दिया। सरकारी खर्च आय से कहीं अधिक हो गया। इसने भारत को वैष्वीकरण की प्रक्रिया को तेज करने तथा दो अंतर्राश्ट्रीय संस्थाओं, विष्व बैंक और अंतर्राश्ट्रीय मुद्रा कोश के सुझाव के अनुसार अपने बाजार खोलने को विवष किया। सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति को नई आर्थिक नीति कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत कई गतिविधियों को जो सरकारी क्षेत्र द्वारा ही की जाती थीं, निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया। निजी क्षेत्र को कई प्रतिबंध से भी मुक्त कर दिया गया। उन्हें उद्योग प्रारंभ करने तथा व्यापारिक गतिविधियाँ चलाने के लिए कई प्रकार की रियायतें भी दी गई। देष के बाहर से उद्योपतियों एवं व्यापारियों को उत्पादन करने तथा अपना माल और सेवाएँ भारत में बेचने के लिए आमंत्रित किया गया। कई विदेषी वस्तुओं को, जिन्हें पहले भारत में बेचने की अनुमति नहीं थी, अब अनुमति दी जा रही है।

भारत में वैष्वीकरण के अंतर्गत विगत एक दषक में कई विदेषी कंपनियों द्वारा मोटर गाड़ियों, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन इकाइया लगाई गई हैं। इससे भी बढ़कर कई उपभोक्ता वस्तुओं विषेशतः इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में जैसे रेडियो, टेलिविजन और अन्य घरेलू उपकरणों की कीमतें घटी है। दूरसंचार क्षेत्र ने असाधारण प्रगति की है। अतीत में जहाँ हम टेलीविजन पर एक या दो चैनल देख पाते थे उसके स्थान पर अब हम अनेक चैनल देख सकते है। हमारे सेल्यूलर फोन प्रयोग करने वालों की संख्या करोड़ों हो गई है, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक प्रौद्यौगिकी का प्रयोग खूब बढ़ा है। जब विकासषील देषों को व्यापार के लिए विकसित देषों से सौदेबाजी करनी होती है तो भारत एक नेता के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक क्षेत्र जिसमें वैष्वीकरण भारत के लिए उपयोगी नहीं है वह है–रोजगार पैदा करना।[5] यद्यपि इसने कुछ अत्यधिक कुषल करीगरों को अधिक कमाई के अवसर प्रदान किए परंतु वैष्वीकरण व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा करने में असफल रहा। अभी कृशि, जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, वैष्वीकरण का लाभ मिलना षेश है। भारत के अनेक भू–भागों को विष्व के

अन्य भागों में उपलब्ध भिन्न प्रकार की प्रौद्यौगिकी का कुषलता से प्रयोग कर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवष्यकता है। विकसित देषों में खेती के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को अपनाने के लिए भारतीय कृशकों को षिक्षित करना है। यहाँ अस्पतालों को अधिक आधुनिक उपकरणों की आवष्यकता है। वैष्वीकरण द्वारा अभी भारत के लाखों घरों में सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवानी है।

संदर्भ स्त्रोतः–

1. बबूलाल फाड़िया, भारतीस सरकार एवं राजनीति, सरस्वती सदन, दिल्ली, 1978, पृ. 81
2. यू.आर. घई एव ंके.के. घई, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, न्यू एकेडमिक पब्लिषिंग कम्पनी, जालन्धर, पृ.सं. 89
3. आलोक श्रीवास्तव भारत में संघवाद–उद्विकास एवं प्रवृतियाँ, सम्पादित भारतीय सरकार एवं राजनीति, प्रो0 आर0पी0 जोषी, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर पृ.सं. 243
4. जॉली मोहन कौल : प्राबल्स ऑफ नेषनल इंटीग्रेषन, नई दिल्ली 1963, पृ.सं. 76
5. विपिन चन्द्र : आजादी के बाद का भारत (1947–2007) हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेषालय, दिल्ली विष्वविद्यालय, चतुर्थ संस्करण 2009, पृ.सं. 136